मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 33
03.02.2025 को उत्तर के लिए

वन भूमि का अतिक्रमण

33. श्रीमती मंजू शर्मा :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न राज्यों से वन भूमि के अतिक्रमण के बारे कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार अतिक्रमण के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) वन भूमि के अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यों द्वारा उपायों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) वन क्षेत्र में हुए अतिक्रमण का ब्यौरा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा रखा जाता है और इस संबंध में मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अतिक्रमण की गई वन भूमि के ब्यौरे की रिपोर्ट प्रस्तुत की है उनका विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) से (ङ) वनों का संरक्षण एवं प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। अतिक्रमण को रोकने के लिए, भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा स्थानीय वन अधिनियमों/नियमों में उपयुक्त कानूनी प्रावधान किए गए हैं।

यह मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को कानून के प्रावधानों के अनुसार वन भूमियों पर अतिक्रमण हटाने और यह सुनिश्चित करने के लिए परामर्शिकाएं जारी करता है कि आगे और अतिक्रमण न हो। इसके अतिरिक्त, अतिक्रमण को रोकने के लिए राज्य वन विभागों द्वारा अनेक उपाय किए जाते हैं जिनमें वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और सीमांकन, वन सीमा के साथ-साथ स्तंभों को लगाना और फील्ड स्टॉफ द्वारा नियमित रूप से गश्त लगाना शामिल हैं। राज्य वन विभागों द्वारा वनों की सीमा की निगरानी के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली, सुदूर संवेदी और ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणालियों जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों का भी प्रयोग किया जाता है। वनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का भी गठन किया गया है।

*****

अनुबंध

'वन भूमि का अतिक्रमण' के संबंध में दिनांक 03.02.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 33 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अतिक्रमण की गई वन भूमि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा यथा सूचित दिनांक 31.03.2024 तक अतिक्रमण की गई वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	आंध्र प्रदेश	13318.16
2.	असम	213253.91
3.	अरुणाचल प्रदेश	53499.96
4.	छत्तीसगढ़	16891.225
5.	गुजरात	13008.119
6.	झारखंड	20040.47
7.	केरल	4975.52
8.	महाराष्ट्र	57554.87
9.	ओडिशा	40507.56
10.	पंजाब	7567.42
11.	त्रिपुरा	4242.37
12.	तमिलनाडु	15768.48
13.	उत्तराखंड	4992.43
14.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3742.08
15.	दादरा और नगर हवेली	39.78
16.	दमन और दीव	48.99
17.	सिक्किम	469.16
18.	लक्षद्वीप	0
19.	पुडुचेरी	0

***